निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 पौष 1946 (श0)

(सं0 पटना 12) पटना, सोमवार, 6 जनवरी 2025

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

6 जनवरी 2025

सं० : बी1–3–195/2024–02—बिहार राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित डॉ० सुनील कुमार सिंह, का स्थान उनकी पदावधि, जो कि 28.06.2026 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व निरर्हता के कारण 27.07.2024 से रिक्त होने के फलस्वरूप हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से आयोजित किये जाने वाले बिहार विधान परिषद का उप निर्वाचन कार्यक्रम से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या–100/बिहार–वि.प./13/2024–एम.एल.ए.(1) दिनांक 06.01.2025 (हिन्दी एवं अंग्रेजी) सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती हैं।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मिथिलेश कुमार साहु,
संयुक्त सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001/दिनांक 06 जनवरी, 2025, पौष 16, 1946 (शक)

सं. 100/बिहार-वि.प./13/2024-एम.एल.ए. (1)- यतः, बिहार राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषद के लिए निर्वाचित डॉ. सुनील कुमार सिंह, का स्थान उनकी पदावधि, जो कि 28.06.2026 सहित उस तारीख तक थी, के समाप्त होने से पूर्व निरर्हता के कारण 27.07.2024 से रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक उप निर्वाचन आयोजित किया जाना है;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 151, धारा 39 की उपधारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वाराः-

(अ) बिहार राज्य के विधान सभा सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 25 जनवरी, 2025 (शनिवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और उनके तहत जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य की विधान परिषद में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में:-

(क)	नाम निर्देशित करने की अन्तिम तारीख	–	13 जनवरी, 2025 (सोमवार);
(ख)	नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख	–	14 जनवरी, 2025 (मंगलवार);
(ग)	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	–	16 जनवरी, 2025 (गुरुवार);
(घ)	वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा	–	23 जनवरी, 2025 (गुरुवार); और
(ङ.)	वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	–	25 जनवरी, 2025 (शनिवार);

नियत करता है; और

(इ) 09:00 बजे पूर्वाह्न से 04:00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में नियत करता है जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो, विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से,
नरेन्द्र नाथ बुटोलिया,
वरिष्ठ प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi. Dated: 06th January, 2025 Pausha 16, 1946 (Saka)

No.100/BR-LC/13/2024-MLA (1).—Whereas, the seat of Dr. Sunil Kumar Singh in the Legislative Council of the State of Bihar, elected by the members of the Legislative Assembly of the State, has become vacant on 27.07.2024 by the reason of his disqualification, before the expiration of his term of office which was up to and including 28.06.2026; and

WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 151, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) calls upon the members of the Legislative Assembly of the State of Bihar to elect, before 25th January, 2025 (Saturday), and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Council of the State;

(B) appoints with respect to said election, -

(a) the 13th January, 2025 (Monday), as the last date for making nominations;

(b) the 14th January, 2025 (Tuesday), as the date for the scrutiny of the nominations;

(c) the 16th January, 2025 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 23rd January, 2025 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 25th January, 2025 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) fixes the hours from 09:00 am to 04:00 pm, as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,
NARENDRA N. BUTOLIA,
SR. PRINCIPAL SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)12-571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in